Web/
E-mail/whats-
App

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–2 / एम0एम0 (बा0) 187 / 18–2965 / एम0, पटना, दिनांक–17/7/18

प्रेषक,

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

संबंधित सहायक निदेशक,
संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी,
संबंधित खान निरीक्षक,
पटना / भोजपुर / रोहतास / औरंगाबाद / बाँका।

विषयः– जिलान्तर्गत नव बंदोबस्त बालूघाटों के प्रयोजनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति प्रद्त्त करने के क्रम में DEIAA/DEAC की कार्यवाही उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अध्यक्ष, बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्राप्त पत्र में संसूचित किया गया है कि DEIAA/DEAC का पर्यवेक्षिकीय अधिकार क्षेत्र SEIAA के अन्तर्गत होने के वाबजूद जिलान्तर्गत बालूघाटों के लिए समर्पित खनन योजना के प्रयोजनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में आहूत DEIAA/DEAC के बैठक की कार्यवाही SEIAA को उपलब्ध नहीं कराई गई है। अपने प्रभाराधीन जिलान्तर्गत बालूघाटों के लिए समर्पित खनन योजना के प्रयोजनार्थ पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के क्रम में आहूत DEIAA/DEAC के बैठक की कार्यवाही अध्यक्ष, बिहार राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को भेजना सुनिश्चित किया जाय तथा एतद् संबंधी सूचना / प्रतिवेदन से मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

D/MANOJ/ALOK JI/DRAFT